

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर

उनवान सरकार बनाम मुबारिक

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट

प्रा०पत्र नम्बर 15/153/2023 दायर दिनांक 04.07.2023

तारीख हुकम

हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

21.08.2023

पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा०पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर HR73 B-5661 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थानाधिकारी अकबरपुर, जिला अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 1880 दिनांक 24.07.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कसया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन से अनुसंधान हो चुका है, वाहन छोड दिया जाये तो कोई आपत्ति नही है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथम जप्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नही करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाज्रा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित राशि के जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 28.08.2023 को पेश हो।

जिला कलक्टर
अलवर

28/08/23

वकील वादी/वकीलाय उपर/वार का कार्य स्थगन है। पीछारतीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।

रिजि

